

कायालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email [id-rtamuztirhut.bih@gmail.com](mailto:rtamuztirhut.bih@gmail.com))

ज्ञापांक—.....243...../परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक.....28/04/2025

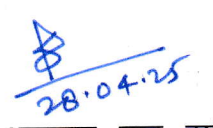
प्रेषित,

नाम—श्री बलिस्टर शर्मा,
पिता—रामाशीश शर्मा,
पता—वार्ड नं०—06 नवलपुर,
पो०—नवलपुर, थाना—नवलपुर
जिला—पश्चिम चम्पारण।
पिनकोड—845452
मो० नं०—9931068601

विषय : — वाहन संख्या—BR22PA-2787, परमिट संख्या—BR2023-SC-3150A का परमिट रद्द करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परमिट संख्या— BR2023-SC-3150A से आवृत वाहन संख्या— BR22PA-2787 की आयु 5 (पाँच) वर्ष से अधिक होने के बावजूद अनुमान्य दूरी 600 कि०मी० से अधिक परिचालन का मामला प्रकाश में आया है।

अतएव मोटरयान अधिनियम—1988 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त वाहन के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए निदेशित किया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर परमिट संख्या— BR2023-SC-3150A पर आवृत वाहन संख्या— BR22PA-2787 को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन अथवा अनुमान्य दूरी के अनुरूप खेप कटाव सुनिश्चित करें अन्यथा वर्णित परमिट को रद्द कर टाइम स्लॉट Free कर दिया जाएगा।


संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
मुजफ्फरपुर।